

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांक प.2(2) न्याय/2016

जयपुर, दिनांक

8 DEC 2016

:: अधिसूचना ::

राजस्थान सिविल न्यायालय अध्यादेश 1950 (1950 का अध्यादेश संख्या 7) की धारा 7 की उपधारा (1), धारा 10 की उपधारा (1) एवं धारा 16 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा राजस्थान उच्च न्यायालय की सिफारिश पर राज्य सरकार, एतद्द्वारा राजस्थान राज्य में कार्यरत निम्नलिखित कॉलम संख्या 2 में वर्णित पारिवारिक न्यायालयों, श्रम न्यायालयों एवं औद्योगिक अधिकरणों के कॉलम संख्या 3 में वर्णित संबंधित जिला न्यायाधीश के समक्ष विचाराधीन दीवानी वादों को शीघ्र निपटाने हेतु दीवानी वाद सुनने के अधिकार प्रदान करती है:-

क्र.सं.	न्यायालय का नाम	जिला
1	2	3
1.	पारिवारिक न्यायालय, अजमेर	अजमेर
2.	पारिवारिक न्यायालय, अलवर	अलवर
3.	पारिवारिक न्यायालय, बांसवाड़ा	बांसवाड़ा
4.	पारिवारिक न्यायालय, बांरा	बांरा
5.	पारिवारिक न्यायालय, भरतपुर	भरतपुर
6.	पारिवारिक न्यायालय, भीलवाड़ा	भीलवाड़ा
7.	पारिवारिक न्यायालय संख्या 1, बीकानेर	बीकानेर
8.	पारिवारिक न्यायालय संख्या 2, बीकानेर	बीकानेर
9.	पारिवारिक न्यायालय, बुन्दी	बुन्दी
10.	पारिवारिक न्यायालय, चुरू	चुरू
11.	पारिवारिक न्यायालय, चित्तौड़गढ़	चित्तौड़गढ़
12.	पारिवारिक न्यायालय, दौसा	दौसा
13.	पारिवारिक न्यायालय, डुंगरपुर	डुंगरपुर
14.	पारिवारिक न्यायालय, श्रीगंगानगर	श्रीगंगानगर
15.	पारिवारिक न्यायालय, हनुमानगढ़	हनुमानगढ़
16.	पारिवारिक न्यायालय संख्या 1, जयपुर	जयपुर महानगर
17.	पारिवारिक न्यायालय संख्या 2, जयपुर	जयपुर महानगर
18.	पारिवारिक न्यायालय संख्या 3, जयपुर	जयपुर महानगर

क्र.सं.	न्यायालय का नाम	जिला
1	2	3
19.	पारिवारिक न्यायालय, झालावाड़	झालावाड़
20.	पारिवारिक न्यायालय, झुंझुनू	झुंझुनू
21.	पारिवारिक न्यायालय संख्या 1, जोधपुर	जोधपुर महानगर
22.	पारिवारिक न्यायालय संख्या 2, जोधपुर	जोधपुर महानगर
23.	पारिवारिक न्यायालय संख्या 1, कोटा	कोटा
24.	पारिवारिक न्यायालय संख्या 2, कोटा	कोटा
25.	पारिवारिक न्यायालय संख्या 3, कोटा	कोटा
26.	पारिवारिक न्यायालय, मेड़ता	मेड़ता
27.	पारिवारिक न्यायालय, पाली	पाली
28.	पारिवारिक न्यायालय, राजसमन्द	राजसमन्द
29.	पारिवारिक न्यायालय, सवाईमाधोपुर	सवाईमाधोपुर
30.	पारिवारिक न्यायालय, सीकर	सीकर
31.	पारिवारिक न्यायालय, टोंक	टोंक
32.	पारिवारिक न्यायालय, उदयपुर	उदयपुर
33.	श्रम न्यायालय एवं औद्योगिक न्यायाधिकरण, अजमेर	अजमेर
34.	श्रम न्यायालय एवं औद्योगिक न्यायाधिकरण, अलवर	अलवर
35.	श्रम न्यायालय एवं औद्योगिक न्यायाधिकरण, भरतपुर	भरतपुर
36.	श्रम न्यायालय एवं औद्योगिक न्यायाधिकरण, भीलवाड़ा	भीलवाड़ा
37.	श्रम न्यायालय एवं औद्योगिक न्यायाधिकरण, बीकानेर	बीकानेर
38.	श्रम न्यायालय एवं औद्योगिक न्यायाधिकरण, श्रीगंगानगर	श्रीगंगानगर
39.	श्रम न्यायालय संख्या 1, जयपुर	जयपुर महानगर
40.	श्रम न्यायालय संख्या 2, जयपुर	जयपुर महानगर
41.	औद्योगिक न्यायाधिकरण, जयपुर	जयपुर महानगर

क्र.सं.	न्यायालय का नाम	जिला
1	2	3
42.	श्रम न्यायालय एवं औद्योगिक न्यायाधिकरण, जोधपुर	जोधपुर
43.	श्रम न्यायालय एवं औद्योगिक न्यायाधिकरण, कोटा	कोटा
44.	श्रम न्यायालय एवं औद्योगिक न्यायाधिकरण, उदयपुर	उदयपुर

नोट: उपरोक्त न्यायालयों/अधिकरणों को उन्ही दीवानी प्रकरणों की सुनवाई का अधिकार होगा, जिन्हें राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा समय समय पर अन्तरित किये जायेंगे।

राज्यपाल के आदेश से,

08/12/16

(मनोज कुमार व्यास)

प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख सचिव, माननीय राज्यपाल, राजस्थान सरकार।
2. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार।
3. विशिष्ट सहायक, माननीय विधि मंत्री, राजस्थान सरकार।
4. मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
5. रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।
6. रजिस्ट्रार (शासन) राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर बेंच, जयपुर।
7. समस्त जिला कलेक्टर/जिला एवं सेशन न्यायाधीश/पुलिस अधीक्षक।
8. संबंधित न्यायालय।
9. शासन सचिव, विधि (राजकीय वादकरण), शासन सचिवालय, जयपुर।
10. महानिदेशक आरक्षी/जेल, राजस्थान सरकार, जयपुर।
11. निदेशक, अभियोजन विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
12. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
13. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, राजस्थान सरकार जयपुर को राजपत्र के विशेषांक में प्रकाशनार्थ (सी.डी. सहित)।
14. प्रोग्रामर, विधि विभाग।
15. रक्षित पत्रावली।

08-12-16

(डॉ० कैलाश चन्द्र अटवासिया)
संयुक्त शासन सचिव